

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।

आदेश
709(4)
सं० सं०-4/लो०सू०-27-20/2017 पटना, दिनांक- 23/5/19
स्वास्थ्य विभाग में कार्यों की अधिकता को देखते हुए राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित दो स्वास्थ्य प्रशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति स्तम्भ 04 में उल्लेखित प्रशाखा में दिनांक-20.06.2019 तक की जाती है:-

क्रमांक	नाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रतिनियुक्त प्रशाखा
1	2	3	4
1	श्री दिलीप कुमार	अति०प्रा०स्वा०केन्द्र, कादिरगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखण्ड, नवादा।	प्रशाखा-04
2	श्री सतीश कुमार	अति०प्रा०स्वा०केन्द्र, लोहान, प्रा०स्वा०केन्द्र, चेवाड़ा, शेखपुरा	प्रशाखा-04

- उक्त कर्मियों की कार्यक्षमता का आकलन कर उनके अवधि विस्तार पर विचार किया जायेगा।
- सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को पत्र निर्गत के 48 घंटे के अंदर विरमित कर दिया जाय, अन्यथा स्वतः विरमित समझे जाएंगे।
- प्रतिनियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान उनके मूल पदस्थापित प्रशाखा से उपलब्ध कराये गये अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर की जायेगी।
- उक्त आदेश में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य की सहमति प्राप्त है।

(डॉ० आर० डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

सं०सं०-4/लो०सू०-27-20/2017 709(4) /स्वा०, पटना, दिनांक- 23/5/19
प्रतिलिपि-सभी उपरोक्त स्वास्थ्य प्रशिक्षकों/सभी संबंधित सिविल सर्जन/सभी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण) के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-04/संबंधित प्रशाखों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि-आई०टी० मनेजर, स्वास्थ्य विभाग को निदेशित है कि इस आदेश को विभागीय साईड पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

(23/5/19)
निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।